RCMS/.00002

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सालवाड़ी बनाम मुकेश पुत्र गोरेलाल जोगी सालवाड़ी

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या 02 निर्णय दिनाँक :- 16-10-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सालवाड़ी की आ.ख.न. 591 कुल रकबा 0.19 किस्म जमीन गै.मु.मरघट में से 0.01 बिस्वा रकबे पर श्री मुकेश पुत्र गोरेलाल जोगी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 0.01 बिस्वा मुकेश पुत्र गोरेलाल जोगी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का सालवाड़ी द्वारा दिनाँक 1-8-19 मुकेश पुत्र गोरेलाल जोगी को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. सौंखर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज़ रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी मुकेश पुत्र गोरेलाल जाति जोगी निवासी सालवाड़ी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तंहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी मुकेश पुत्र गोरेलाल जोगी उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 591 रकबा 0.19 में से 0.01 बिस्वा रकबे किस्म गै.मु.मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वॉरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.5 पैसा का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी सालवाड़ी भू.अ.निरी. सौंखर .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

जी. ए. 4 क्रमांक 64 पृष्ठ सं. 1
वर्ष 2019-20 वसूली राशि रु. 3/-
प्रतिलिपि :- प. E को कायमी की गई

5/3/2020